कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

सत्र 2019–20 में आयोज्य 37वीं सब जूनियर (15 वर्ष छात्र) नेहरू हॉकी प्रतियोगिता का पंचांग आवश्यक निर्देशों सहित अनुपालनार्थ प्रसारित किया जाता है । समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,माध्यमिक/प्रारम्भिक (मुख्यालय) शिक्षा को निर्देशित किया जाता है कि अपने अधीनस्थ विद्यालयों में पंचांग एवं निर्देशों को अविलम्ब प्रसारित करें ।

37वीं सब जूनियर (15 वर्ष छात्र) नेहरू हॉकी प्रतियोगिता निम्नांकित तिथियों में आयोजित की जावें :–

जिला स्तर पर :– 22–08–2019 से 23–08–2019 तक
राज्य स्तर पर :– 27–08–2019 से 29–08–2019 तक

राज्य स्तर पर नेहरू हॉकी (15 वर्ष छात्र) प्रतियोगिता आयोजन स्थल :–

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय,रथखाना, जयपुर

आवश्यक दिशा–निर्देश :–

1. जिला स्तर पर विजेता टीम ही राज्य स्तरीय (15 वर्ष छात्र) नेहरू हॉकी प्रतियोगिता में भाग लेगी तथा जिला स्तर पर विजेता टीम के जिन खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता सत्र भाग लिया है वे ही खिलाड़ी उसी सत्र की राज्य स्तरीय (15 वर्ष छात्र) नेहरू हॉकी प्रतियोगिता में भाग लेंगे। उस प्रतियोगिता सत्र में खिलाड़ियों का परिवर्तन नहीं किया जावे।
2. सत्र 2019–20 की 37वीं सब जूनियर (15 वर्ष छात्र) नेहरू हॉकी प्रतियोगिता हेतु छात्र की जन्म तिथि 01.11.2019 को 15 वर्ष या उससे कम होनी चाहिए अर्थात 01.11.2004 या उसके पश्चात जन्म लेने वाले खिलाड़ी नेहरू हॉकी प्रतियोगिता (15 वर्ष छात्र) में भाग ले सकेंगे। साथ ही अन्तिम रूप से चिकित्सकीय प्रमाण पत्र जिसमें कि छात्र की आयु 15 वर्ष या उससे कम का प्रमाण पत्र हो आवश्यक रूप से संलग्न करें, इसके अभाव में छात्र प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकेगा। जन्मतिथि में विवाद के क्रम में सम्बन्धित संस्था प्रधान जिम्मेदार होंगे। अतः विद्यालय अभिलेख से मिलान कर जन्म तिथि अंको व शब्दों मे योग्यता प्रमाण–पत्र में दर्ज की जाए। इस प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु खिलाड़ी की पात्रता प्रवेश तिथी सभी कक्षाओं के लिए वास्तविक प्रवेश तिथी मान्य होगी।
3. राज्य स्तरीय नेहरू हॉकी प्रतियोगिता (15 वर्ष छात्र) में भाग लेने हेतु जिला स्तरीय नेहरू हॉकी (15 वर्ष छात्र) प्रतियोगिता में कम से कम 4 टीमों का भाग लेना अनिवार्य होगा। इस न्यूनतम निर्धारित संख्या में टीमें जिला स्तर पर भाग नहीं लेती है तो ऐसी स्थिति में प्रतियोगिता सम्पन्न करवाकर संभागियों को प्रमाण–पत्र वितरित कर दिए जाए, परन्तु टीम उस प्रतियोगिता सत्र में नेहरू हॉकी प्रतियोगिता (15 वर्ष छात्र) राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकेगी। उक्त सूचना जिला स्तरीय प्रतियोगिता प्रारम्भ होने के समय खिलाड़ियो को आवश्यक रूप से दी जाए।
4. सब जूनियर (15 वर्ष छात्र) नेहरू हॉकी जिला स्तरीय प्रतियोगिता में टीमों की संख्या 4 या 4 से कम होने पर लीग प्रणाली से एवं टीमों की संख्या 5 या 5 से अधिक होने पर नॉक–आउट प्रणाली से की जाए।
5. जिला स्तर पर लीग प्रणाली में टाई पड़ने पर परिणाम हेतु निम्नानुसार टाई तोड़ी जाएः–
   1. लीग प्रणाली से खेले जाने वाले सभी खेलों के मैचों में विजेता दल को दो अंक व पराजित दल को शून्य अंक एवं बराबर रहने वाले दलों को एक–एक अंक दिया जाएगा।

www.rajteachers.com

2. जिला स्तर पर आवश्यकतानुसार मैच जब लीग प्रणाली से खिलाए और दल बराबर रह जाते है तो प्राप्त गोल औसत को आधार मान कर टाई तोड़ी जाए। गोल का तात्पर्य है जिस दल के पक्ष में जितने गोल हुए है उनमें से उसी दल के विपक्ष में हुए गोल का औसत निकाल कर टाई तोड़ी जाए। यदि इस पद्धति से निर्णय की स्थिति ना बन पाए तो जिस दल के पक्ष में अधिक संख्या में गोल रहें हो उसे ही विजेता घोषित कर दिया जाए।

6. राज्य स्तरीय (15 वर्ष छात्र) नेहरू हॉकी प्रतियोगिता नॉक आउट प्रणाली से आयोजित की जावेगी। नॉक आउट प्रणाली में टाई पड़ने पर विभागीय हॉकी प्रतियोगिता के अनुरूप ही टाई ब्रेकर नियम लागू किया जाएगा।

7. राज्य स्तरीय (15 वर्ष छात्र) नेहरू हॉकी प्रतियोगिता में दल हारते ही आयोजक हारे हुए दल को कार्यमुक्त कर देवें। सेमीफाइनल में हारने वाली टीमों के मध्य तीसरे एवं चौथे स्थान के लिए मैच करवाए जाए तथा 4 स्थानों के परिणाम निकाले जाए।

8. जिला स्तरीय (15 वर्ष छात्र) नेहरू हॉकी प्रतियोगिता हेतु आयोजन स्थल का निर्धारण जिला शिक्षा अधिकारी,माध्यमिक (मुख्यालय) द्वारा किया जाएगा।

9. शिक्षा विभागीय अन्य विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिता में जिले के दल राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेते है जिसकी व्यवस्था संबन्धित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक (मुख्यालय) द्वारा की जाती है। उसी व्यवस्था/प्रक्रिया अनुसार ही जिले के दल को नेहरू हॉकी प्रतियोगिता (15 वर्ष छात्र) प्रतियोगिता के लिए भेजा जाए। खिलाड़ियों का दैनिक भत्ता, अनुसांगिक प्रभार, यात्रा व्यय (रियायती दर) आदि समस्त व्यय अन्य विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिताओं की भांति नियमानुसार छात्र कोष से वहन किए जायेंगे। अलग से कोई बजट आवंटित नहीं किया जाएगा।

10. जिला स्तरीय (15 वर्ष छात्र) नेहरू हॉकी प्रतियोगिता आयोजन पर होने व्यय अन्य विभागीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिताओं की भांति जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक (मुख्यालय) शिक्षा के पास उपलब्ध खेलकूद की अनारक्षित राशि 60 प्रतिशत राशि में से नियमानुसार कर सकेंगे।

11. शिक्षा विभाग के विशेष विद्यालय जैसे सादुल स्पोर्ट्स स्कूल, बीकानेर एवं सत्र पर्यन्त प्रशिक्षण केन्द्र विद्यालय में प्रवेश लिये खिलाड़ी दल यदि एक ही विद्यालय से पूर्ण बनता है तो सीधे ही राज्य स्तरीय (15 वर्ष छात्र) नेहरू हॉकी प्रतियोगिता में भाग लेगें।

12. जिला स्तर पर विजेता विद्यालय की सूचना व भाग लेने वाले खिलाड़ियों की सूची परिणाम प्राप्त होते ही विजेता विद्यालय के संस्था प्रधान द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक (मुख्यालय) के माध्यम से राज्य स्तरीय नेहरू हॉकी प्रतियोगिता आयोजक संस्था प्रधान को समय पर भिजवाते हुए राज्य स्तर पर भाग लेने की सूचना भी भिजवाए।

13. जिला स्तर पर विजेता टीम मय आवश्यक अभिलेखों के दिनांक 26.08.2019 की सांय 5.00 बजे तक राज्य स्तरीय (15 वर्ष छात्र) नेहरू हॉकी प्रतियोगिता आयोजक प्रधानाचार्य, राउमावि,रथखाना,जयपुर को अपनी उपस्थिति देवें।

14. अन्य विभागीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिताओं की भांति नेहरू हॉकी प्रतियोगिता का भी समस्त अभिलेख विद्यालय में तैयार किया जाए एवं सुरक्षित रखें।

15. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक (मुख्यालय) अपने जिले का कार्यक्रम तैयार कर उक्त प्रतियोगितार्थ जिला स्तर पर उच्च प्राथमिक विद्यालयों की टीमों को शामिल करने हेतु

www.rajteachers.com

आदेश की प्रति अपने जिले के जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक (मुख्यालय) को भी पर्याप्त समय पूर्व भिजवाए।

16. 36वीं राज्य स्तरीय (15 वर्ष छात्र) नेहरू हॉकी प्रतियोगिता 2018–19 के प्रथम चार स्थान के परिणाम इस प्रकार है :– **1.श्रीगंगानगर 2. हनुमानगढ 3. अलवर 4. एस.एस.एस. बीकानेर**
17. सब जूनियर नेहरू हॉकी (15 वर्ष छात्र) प्रतियोगिता हेतु जिला एवं राज्य स्तर पर प्रत्येक दल में खिलाड़ियों की संख्या 16 होगी।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक,माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर

क्रमांक–:शिविरा / मा / खेलकूद–3 / 35102 / 2019–20 / नेहरू हॉकी / दिनांक १८/३/१९

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–:

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
2. शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा (पंचायत राज) राजस्थान, जयपुर ।
3. शासन सचिव खेलकूद एवं युवा कार्यक्रम विभाग , राजस्थान, जयपुर ।
4. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान , बीकानेर ।
5. निदेशक, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
6. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशालय राजस्थान, जयपुर ।
7. उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–6) विभाग, जयपुर ।
8. समस्त संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा विभाग एवं समस्त जिला शिक्षा अधिकारी ,माध्यमिक / प्रारम्भिक (मुख्यालय) को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि इस आदेश का प्रसारण आप अपने अधीनस्थ अधिकारियों / कार्यालयों / विद्यालयों को अविलम्ब करने का श्रम करें तथा की गयी कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत करावें ।
9. सिस्टम एनालिस्ट, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
10. प्रधानाचार्य, सादुल स्पोर्टस स्कूल, बीकानेर ।
11. प्रधानाचार्य, राजकीय शारीरिक शिक्षा, महाविद्यालय, जोधपुर ।
12. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, रथखाना,जयपुर
13. समस्त प्रधानाचार्य सत्र पर्यन्त प्रशिक्षण केन्द्र ।
14. सचिव / अध्यक्ष, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, जयपुर ।
15. अनुभाग अधिकारी, शिविरा पत्रिका प्रकाशन अनुभाग,माध्यमिक शिक्षा, राज. बीकानेर को 7 प्रतियॉ प्रेषित है। कृपया खेलकूद पंचांग आगामी शिविरा पत्रिका में प्रकाशित कराने का श्रम करावें ।
16. रक्षित पत्रावली।

उप निदेशक (खेलकूद)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

www.rajteachers.com

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

सत्र 2019–20 की 64वीं जिला, राज्य स्तरीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक (17 व 19 वर्ष आयु वर्ग) विद्यालयी छात्र–छात्रा खेलकूद प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु प्रतियोगिता पंचांग आवश्यक निर्देशों सहित अनुपालनार्थ प्रसारित किया जाता है। समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक (मुख्यालय) शिक्षा को निर्देशित किया जाता है कि अपने अधीनस्थ विद्यालयों में पंचांग एवं निर्देशों को अविलम्ब प्रसारित करें ।

विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु निम्नानुसार खेल समूह बनाये गये है :–

प्रथम समूह			द्वितीय समूह		
फुटबॉल	17,19 वर्ष	छात्र	तीरंदाजी (इण्डियन राउण्ड व फीटा राउण्ड)	17,19 वर्ष	छात्र–छात्रा
जिम्नास्टिक	17,19 वर्ष	छात्र–छात्रा	बेडमिन्टन	17,19 वर्ष	छात्र–छात्रा
हैण्डबाल	17,19 वर्ष	छात्र–छात्रा	बास्केटबॉल	17,19 वर्ष	छात्र–छात्रा
हॉकी	17,19 वर्ष	छात्र–छात्रा	क्रिकेट	17,19 वर्ष	छात्र
जूडो	17,19 वर्ष	छात्र–छात्रा	खो–खो	17,19 वर्ष	छात्र–छात्रा
सॉफ्टबाल	17,19 वर्ष	छात्र–छात्रा	लॉन टेनिस	17,19 वर्ष	छात्र–छात्रा
तैराकी	17,19 वर्ष	छात्र–छात्रा	टेबल टेनिस	17,19 वर्ष	छात्र–छात्रा
वॉलीबाल	17,19 वर्ष	छात्र–छात्रा	कबड्डी	17,19 वर्ष	छात्र–छात्रा
कुश्ती	17,19 वर्ष	छात्र	–	–	–

तृतीय समूह		
एथलेटिक्स	17 एवं 19 वर्ष	छात्र – छात्रा

प्रतियोगिता निम्न तिथियों के अनुसार ही आयोजित की जावें :–

समूह	विद्यालय स्तर	जिला स्तर	राज्य स्तर
प्रथम समूह	16–08–2019 से पूर्व	01.09.19 से 05.09.19 के मध्य (अधिकतम चार दिन)	13.09.2019 से 18.09.2019
द्वितीय समूह	16–08–2019 से पूर्व	05.09.19 से 09.09.19 के मध्य (अधिकतम चार दिन)	21.09.2019 से 26.09.2019
तृतीय समूह	16–08–2019 से पूर्व	01.10.19 से 04.10.19 तक	11.10.2019 से 16.10.2019

साहित्यिक एवं सांस्कृतिक प्रवृतियां कार्यक्रम विद्यालय /क्षेत्रीय/जिला स्तर तक का आयोजन विभागीय खेलकूद नियमावली एवं मार्गदर्शिका 2005 के अनुसार पूर्ववत जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं से पूर्व आयोजित करवायें। दिनांक 29 अगस्त 2019 मेजर ध्यानचंद जयन्ति को खेल दिवस के रूप में विद्यालय स्तर पर विविध खेलों के आयोजन किये जावें ।

सत्र 2019–20 की 64वीं राज्य स्तरीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक 17 वर्ष एवं 19 वर्ष आयुवर्ग विद्यालयी छात्र–छात्रा खेलकूद प्रतियोगिता आयोजक विद्यालयों के नाम व स्थान परिशिष्ट 1 व 2 पर संलग्न हैं ।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2008–2009 में खेलकूद प्रतियोगिताओं के नियमों में परिवर्तन/परिवर्द्धन के संबंध में विस्तृत आदेश, क्रमांकः शिविरा–माध्य/खेलकूद/निजी/ 35427/05–06/108 दिनांक 04–07–08 के द्वारा पूर्व में प्रसारित किये जा चुके है, यथावत रहेंगे ।

www.rajteachers.com

सत्र 2019–20 की प्रतियोगिताओं के सफल आयोजन हेतु निम्नांकित निर्देश प्रसारित किये जाते हैं :–

01. सभी अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि निर्धारित तिथियों के मध्य टीमों की संख्या के आधार पर न्यूनतम दिनों का कार्यक्रम तय कर जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं को आयोजित करें परन्तु क्षेत्रीय प्रतियोगिता आवश्यकतानुसार विद्यालयी स्तर की प्रतियोगिता के पश्चात एवं जिला स्तरीय प्रतियोगिता से पूर्व आयोजित करावें। राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएँ निर्धारित तिथियों एवं स्थानों पर निर्धारित विद्यालयों द्वारा ही आयोजित की जावेगी। तिथियों एवं प्रतियोगिताओं के स्थलों में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा ।

02. सत्र 2019–20 में सभी स्तर की प्रतियोगिताओं में संभागित्व के लिए खिलाड़ियों की जन्म तिथि निम्नानुसार होगीः–
   (1) 19 वर्ष आयुवर्ग–छात्र–छात्रा के लिए 01–01–2001 या उसके पश्चात एवं कक्षा 6 से 12 तक नियमित अध्ययनरत ।
   (2) 17 वर्ष आयुवर्ग–छात्र–छात्रा के लिए 01–01–2003 या उसके पश्चात एवं कक्षा 6 से 12 तक नियमित अध्ययनरत।

03. जनरल सेक्रेटरी,एस.जी.एफ.आई (S.G.F.I.) के पत्र दिनांक 10.08.2017 एवं इस कार्यालय के समसख्यंक पत्र दिनांक 24.08.2017 के द्वारा जिला/राज्य/राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं हेतु विभिन्न आयुवर्गो में कक्षा की बाध्यता को समाप्त किये जाने के कारण गत सत्र से निम्नानुसार संशोधन जारी किये गये है :
   a) कोई भी विद्यार्थी जो कक्षा 12वीं उतीर्ण कर चुका है वह किसी भी आयुवर्ग की प्रतियोगिता (जिला/राज्य/राष्ट्रीय) में भाग नही ले सकता है।
   b) 17,19 वर्ष आयुवर्ग की छात्र–छात्रा प्रतियोगिता में कक्षा 06 से नीचे की कक्षा का विद्यार्थी किसी भी आयुवर्ग की प्रतियोगिता (जिला/राज्य/राष्ट्रीय) में भाग नही ले सकता।
   c) यदि कोई विद्यार्थी कक्षा 11 एवं 12 में अध्ययनरत है और वह 17 वर्ष आयुवर्ग (छात्र–छात्रा) की प्रतियोगिता (जिला/राज्य/राष्ट्रीय) में भाग लेना चाहता है तो उसको कक्षा 10 की अंकतालिका /बोर्ड प्रमाण पत्र की प्रति अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करनी होगी।
   d) किसी भी आयुवर्ग की प्रतियोगिता (जिला/राज्य/राष्ट्रीय) में खिलाड़ी की आयु प्रमाणीकरण हेतु निम्नांकित में से दो प्रमाण पत्र जैसे – 1. आधार कार्ड 2. पासपोर्ट 3. जन्म प्रमाण पत्र 4. कक्षा 10 का बोर्ड प्रमाणपत्र/अंकतालिका आदि (यदि किसी विद्यार्थी द्वारा कक्षा 10 की परीक्षा दी जा चुकी है तो उपरोक्त में से कोई भी दो आयु प्रमाण पत्र में कक्षा 10 का बोर्ड प्रमाण पत्र /अंकतालिका आवश्यक रूप से प्रमाणीकरण हेतु लिया जाना है), यदि किसी किसी विद्यार्थी द्वारा उपरोक्त में से दो प्रमाण पत्र प्रस्तुत नही किये जाते है तो उसको सम्बद्ध प्रतियोगिता (जिला/राज्य/राष्ट्रीय) में भाग लेने के लिए अपात्र किये जाने का अधिकार सक्षम अधिकारी के क्षेत्राधिकार में होगा।

04. राजस्थान राज्य के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विधालयों में अध्ययनरत विधार्थी ही इन प्रतियोगिताओं हेतु पात्र होंगे ।

05. शिक्षा विभाग की सभी खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु खिलाड़ी की पात्रता, प्रवेश तिथि सभी कक्षाओं के लिए वास्तविक प्रवेश तिथि मान्य होगी ।

06. प्रतियोगिता आयोजन के कार्यक्रम को निर्धारित करने (ड्राज डालने) की सुविधा हेतु सत्र 2018–19 में राज्य स्तरीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिता के प्रथम आठ स्थानों के परिणाम परिशिष्ठ–3 से 6 पर संलग्न किये जा रहे है ।

07. सभी स्तर की विद्यालयी छात्र–छात्रा खेलकूद प्रतियोगिताओं के आयोजन के समय प्रतियोगिता के सचांलन हेतु निदेशालय के आदेश क्रमांक–शिविरा/खेलकूद–3/ 35101/04–05 दिनांक 20 अगस्त 2005 के अनुसार ही प्रतिनियुक्तियॉ की जावें। यथा संभव स्थानीय कार्मिकों/अध्यापकों की सेवाएँ ली जावें ।

08. सत्र 2019–20 की छात्र–छात्रा खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन शिक्षा विभागीय खेलकूद नियमावली एवं मार्गदर्शिका 2005 व उसके पश्चात समय–समय पर नियमों में हुए संशोधन एवं प्रदत निर्देशों के अनुरूप ही किया जावे तथा खेलों के नियम संबंधित खेल संघों के जो वर्तमान में संशोधित

www.rajteachers.com

रूप में लागू है, के अनुरूप ही प्रतियोगिताओं को आयोजित किया जावे, परन्तु विभागीय आदेशों/नियमों को ध्यान में रखते हुए अनुपालना हो।

09. विशिष्ट विद्यालय जैसे सार्दुल स्पोर्टस स्कूल, बीकानेर, सत्र पर्यन्त प्रशिक्षण केन्द्र, शिक्षा विभागीय खेल छात्रावास के विद्यालय, संस्कृत शिक्षा निदेशालय के अधीनस्थ अध्ययनरत खिलाड़ियों का दल, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, जयपुर द्वारा संचालित खेल विद्यालय/छात्रावास/अकादमी के दल पूर्व की भांति सीधे ही राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता में भाग ले सकेगें ।

10. राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, जयपुर द्वारा संचालित खेल विद्यालय/छात्रावास/अकादमी में प्रशिक्षणरत/अध्ययनरत खिलाड़ियों की सूची मय पूर्ण विवरण दिनांक 06-08-2019 तक आवश्यक रूप से वाहक स्तर पर इस कार्यालय को भिजवावें (खेलवार छात्र सूची निर्धारित प्रारूप में सम्बन्धित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक (मुख्यालय) को 03 अगस्त 2019 तक प्रस्तुत की जावे) जिससे जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक (मुख्यालय) स्तर पर पूर्ण छानबीन पश्चात् प्रमाणित करते हुए उक्त सूचियां वाहक स्तर पर इस कार्यालय को दिनांकः 06.08.2019 तक भिजवाई जावेगी अन्यथा इन्हे सम्बद्ध खेल की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता हेतु ड्राज में सम्मिलित नहीं किया जा सकेगा । जिसका सम्पूर्ण दायित्व सचिव/अध्यक्ष राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, जयपुर एंव संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक (मुख्यालय) का होगा ।

11. उक्त विशिष्ठ विद्यालयों का दल पूर्ण नहीं होता है तो इन विशिष्ठ विद्यालयों के खिलाडी एवं अन्य किसी विद्यालय का पूर्व में राष्ट्रीय विद्यालयी प्रतियोगिता में भाग ले चुका श्रेष्ठ खिलाड़ी किसी विशेष कारण से जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सका है तो राज्य स्तरीय चयन समिति के समक्ष उस खिलाड़ी का उक्त सत्र में प्रतियोगिता के समय अपने विद्यालय के संस्था प्रधान का नियमित विद्यार्थी होने का पत्र मय योग्यता प्रमाण पत्र एंव राष्ट्रीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिता में संभागित्व प्रमाण पत्र **(केवल पूर्व राष्ट्रीय विद्यालयी खिलाड़ी हेतु)** की प्रमाणित छाया प्रति सहित खिलाड़ी स्वयं लेकर उपस्थित होता है तो चयन समिति द्वारा उसका परीक्षण किया जाकर चयन होने की स्थिति में निर्धारित संख्या में ही पूर्व राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर की राज्य स्तर पर तैयार की जाने वाली चयन सूची में सम्मिलित किया जावेगा। ऐसे खिलाड़ी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता स्थल पर चयन परीक्षण हेतु प्रतियोगिता समाप्ति से तीन दिन पूर्व प्रातः 11.00 बजे तक प्रतियोगिता आयोजक संस्था प्रधान को उपस्थिति देवें। छात्रा खिलाड़ी महिला प्रभारी के साथ उपस्थिति देवें।

12. सभी सत्र पर्यन्त प्रशिक्षण केन्द्र एवं शिक्षा विभागीय खेल छात्रावासों के संस्था प्रधानों को निर्देशित किया जाता है कि सत्र 2019-20 की राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं में खेल विशेष हेतु प्रशिक्षण योजनान्तर्गत चयनित खिलाड़ियों में से ही अपने दल का गठन करे। विद्यालय के अचयनित खिलाड़ियों को सत्र पर्यन्त प्रशिक्षण केन्द्र/खेल छात्रावास के दल में सम्मिलित नहीं किया जावे । शिक्षा विभाग का विशिष्ट विद्यालय सादुल स्पोर्ट्स स्कूल, बीकानेर के अन्तर्गत प्रवेश लिए खिलाड़ी संबंधित खेल में सीधे ही राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे, एथलेटिक्स के छात्र अन्य खेलों में भी भाग ले सकते हैं, अन्य खेलों के छात्र एथलेटिक्स में भी भाग ले सकते हैं। इस हेतु विभाग द्वारा राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए निर्धारित मानदण्ड पूर्ण करने पर ही राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेगें। सादुल स्पोर्टस स्कूल, बीकानेर के डे-स्कॉलर विद्यार्थियों का अलग से दल गठन कर अन्य सामान्य विद्यालयों के छात्र दलों की तरह जिला स्तरीय प्रतियोगिता में दल भिजवाया जा सकता है । डे-स्कॉलर को सादुल स्पोर्टस स्कूल, बीकानेर के छात्रावासी खिलाड़ियों के चयनित दल में शामिल नहीं किया जावे ।

13. सत्र 2003-04 से राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.16( )शिक्षा-6/2002 दिनांक 07.01.2003 की अनुपालना में वर्तमान प्रतियोगिता (क्रीड़ा) शुल्क के नियमान्तर्गत संस्कृत शिक्षा के जिले के सभी विद्यालयों से कुल छात्र-छात्रा संख्या के अनुसार सामान्य वर्ग से 10/-एवं आरक्षित वर्ग से 5/-प्रति छात्र-छात्रा की दर से एकत्रित राशि का 50: (प्रतिशत) राशि राज्य के समस्त संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी ,माध्यमिक (मुख्यालय) शिक्षा को प्रतियोगिताओं के आयोजन से पूर्व जमा करवाने की शर्त पर संस्कृत शिक्षा के खिलाड़ियों को 19 वर्ष एंव 17 वर्ष आयुवर्ग के छात्र वर्ग के निम्न खेलों :- **वॉलीबाल, फुटबाल, कबड्डी, खो-खो, बेडमिंटन व कुश्ती** [शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित वजनवार] में एवं **एथेलेटिक्स** 19 वर्ष एंव 17 वर्ष छात्र वर्ग के राज्य स्तर पर होने वाले इवेन्ट्स में निदेशालय संस्कृत शिक्षा, राजस्थान को भी विशिष्ठ विद्यालयों की भांति पृथक इकाई मानते हुए राज्य स्तर पर सीधे भाग लेने की स्वीकृति शिक्षा विभागीय नियमान्तर्गत प्रदान की गई है । निदेशालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान

www.rajteachers.com

के 19 वर्ष एंव 17 वर्ष छात्र खिलाड़ियों द्वारा उक्त खेलों में राज्य स्तरीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिता में पृथक इकाई के रूप में भाग लेने पर उसकी सूचना आयोजक विद्यालयों के संस्था प्रधान को प्रतियोगिता से 15 दिन पूर्व दी जायेगी। राष्ट्रीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगितार्थ चयन समिति द्वारा शिक्षा विभाग की निर्धारित प्रक्रियानुसार उन्हे चयन प्रक्रिया में शामिल किया जावेगा। यदि संस्कृत शिक्षा के खिलाड़ी का चयन राष्ट्रीय पूर्व प्रशिक्षण शिविर हेतु होता है तो उसका नाम चयन सूची में निर्धारित संख्या में ही शामिल होगा।

14. टेबल टेनिस, बैडमिंटन एवं लॉन टेनिस में दलीय स्पर्धा के साथ–साथ व्यक्तिगत स्पर्धा का आयोजन भी करवाया जावे । 17 व 19 वर्ष छात्र–छात्रा के व्यक्तिगत स्पर्धा के आधार पर ही जिले के दल का गठन चयन विधि द्वारा किया जावेगा । दोनो वर्ग 17 व 19 वर्ष छात्र–छात्रा में अच्छे खिलाड़ियों को आगे बढने के अवसर प्रदान करने हेतु टेबल टेनिस, बैडमिंटन व लॉन टेनिस की दलीय स्पर्धा के क्वार्टर फाईनल में पहुंचने वाले दलों के दो खिलाड़ी एवं सेमी फाईनल में पहुंचने वाले दलों के 5 खिलाड़ी व्यक्तिगत स्पर्धा में भाग लेगें । अन्य दलों से पूर्व की भांति 01 ही खिलाड़ी व्यक्तिगत स्पर्धा में भाग ले सकेगा । व्यक्तिगत स्पर्धा हेतु ड्राज डालते समय अच्छे खिलाड़ी को सीडिग दी जावे । इनकी ड्राज दलीय स्पर्धा में सेमी फाईनल में पहुंचने वाले दलों के निर्धारण होने के बाद डाली जावें । क्वार्टर फाईनल में पहुंचने वाले दलों के 2 खिलाड़ियों एवं सेमी फाईनल में पहुंचने वाले दलों के 05 खिलाड़ियों के नाम व्यक्तिगत क्रमानुसार प्रभारी से लिखित में लिये जावे । उसके बाद सीडिंग देकर ड्राज डाली जावे । ड्राज डालते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जावे कि सेमी फाईनल में पहुंचने वाले दलों के प्रथम वरीयता वाले खिलाड़ियों का सेमी फाईनल से पहले मैच न हो सके । टेनिस प्रतियोगिता के क्वार्टर फाईनल से पूर्व के मैचों में बेस्ट ऑफ 13 गेम, क्वार्टर फाईनल व सेमी फाईनल में बेस्ट ऑफ 17 गेम तथा फाईनल में बेस्ट ऑफ 3 सैट द्वारा निर्णय किया जाये। (जनवरी 2015 से **आई.टी.टी.एफ, टी.टी.एफ.आई. व एस.जी.एफ.आई द्वारा टेबल टेनिस बॉल का नाप 40+mm प्लास्टिक मेड वाईट कलर कर दिया गया है। जिसकी तदानुसार पालना सुनिश्चित हो।)**

15. खिलाड़ी संख्या जो जिला स्तर पर निर्धारित है वही संख्या उनके लिए राज्य स्तरीय तथा राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता में लागू होगी। **सुविधा की दृष्टि से सभी स्तरों पर संभागी खिलाड़ियों की संख्या सत्र 2019–20 में निम्न प्रकार से होगी :–**

खेल का नाम	उमावि स्तर (19 वर्ष छात्र–छात्रा)		मावि स्तर (17 वर्ष छात्र–छात्रा)	
	जिला स्तर	राज्य/राष्ट्रीय स्तर	जिला स्तर	राज्य/राष्ट्रीय स्तर
तैराकी	प्रत्येक इवेन्ट में दो	प्रत्येक इवेन्ट में दो	प्रत्येक इवेन्ट में दो	प्रत्येक इवेन्ट में दो
वॉलीबाल	12	12	12	12
हैण्डबॉल	16	16	16	16
हॉकी	18	18	18	18
सॉफ्टबाल	16	16	16	16
फुटबॉल (छात्र)	18	18	18	18
जूडो	वजनवार जूडो का–1	वजनवार जूडो का–1	वजनवार जूडो का –1	वजनवार जूडो का –1
कुश्ती	वजनवार पहलवान –1	वजनवार पहलवान–1	वजनवार पहलवान –1	वजनवार पहलवान –1
जिम्नास्टिक	07	07	07	07
बास्केटबॉल	12	12	12	12
क्रिकेट(छात्र)	16	16	16	16
बैडमिंटन	05	05	05	05
टेबल टेनिस	05	05	05	05
कबड्डी	12	12	12	12
खो–खो	12	12	12	12
लॉन टेनिस	05	05	05	05
तीरंदाजी (इण्डियन/फीटा/कम्पाउड राउण्ड)	12	12	12	12
एथलेटिक्स	प्रत्येक इवेन्ट में दो	प्रत्येक इवेन्ट में दो	प्रत्येक इवेन्ट में दो	प्रत्येक इवेन्ट में दो

नोट–: एथलेटिक्स एवं तैराकी में प्रत्येक रिले में खिलाड़ियों की संख्या चार होगी ।

www.rajteachers.com

16. एथलेटिक्स व तैराकी 19 व 17 वर्ष आयुवर्ग की छात्र–छात्राओं द्वारा व्यक्तिगत स्पर्धा में विभाग द्वारा निर्धारित मानदण्ड पूर्ण करने वाले प्रथम व द्वितीय, रिले में समय के आधार पर श्रेष्ठ चार, कुश्ती व जूडो के प्रत्येक भार में केवल प्रथम आने वाला, तीरंदाजी (इण्डियन, फीटा व कम्पाउड राउन्ड) में कुल अंको के 30 प्रतिशत अथवा उससे अधिक अंक प्राप्त कर मानदण्ड पूर्ण करने वाले खिलाड़ी व जिम्नास्टिक में कुल अंको के 40 प्रतिशत अथवा उससे अधिक अंक प्राप्त कर मानदण्ड पूर्ण करने वाले खिलाड़ी वरीयतानुसार निर्धारित संख्या में राज्य स्तर पर भाग लेगें। निर्धारित मानदंड पूर्ण नहीं करने वाले खिलाड़ियों को उक्त खेलों की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में नहीं भिजवाया जावे। यह सुनिश्चित करने का दायित्व संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी ,माध्यमिक (मुख्यालय), शिविराधिपति, टीम प्रभारी एवं प्रशिक्षक का होगा। जिम्नास्टिक की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में कुल 40 प्रतिशत अंक प्राप्त कर निर्धारित मानदण्ड पूर्ण करने वाले खिलाड़ी को ही मेरिट/भाग लेने का प्रमाण पत्र देय होगा । तीरंदाजी (इण्डियन, फीटा व कम्पाउड राउण्ड) की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में कुल 30 प्रतिशत अंक प्राप्त कर निर्धारित मानदण्ड पूर्ण करने वाले खिलाड़ी को ही भाग लेने का प्रमाण पत्र देय होगा लेकिन मेरिट प्रमाण पत्र के लिए न्यूनतम 40 प्रतिशत अंकों की बाध्यता यथावत रहेगी। दलीय स्पर्धाओं में भी दल द्वारा निर्धारित मानदण्ड पूर्ण करने पर दल के सभी सदस्यों को स्मरण/मेरिट प्रमाण पत्र दिये जावेगें। राज्य स्तर पर निर्धारित मानदण्ड पूर्ण नहीं करने वाले खिलाड़ियों को भाग लेने/मेरिट प्रमाण पत्र नहीं दिये जावे। आदेश की अवहेलना करने वाले अधिकारी/कार्मिक के विरूद्ध खेलकूद प्रतियोगिता नियमावली, 2005 के बिन्दु संख्या 10.2.6 के अनुसार कार्यवाही की जावेगी ।
17. खिलाड़ी, शारीरिक शिक्षक एवं संस्था प्रधान पात्रता/योग्यता प्रमाण पत्र का भली–भॉति मिलान करें। संस्था प्रधान छात्र की जन्मतिथि, नाम, पिता का नाम, प्रवेशांक (स्कॉलर) रजिस्टर से मिलान करने के पश्चात छात्र–छात्रा के पात्रता/ योग्यता प्रमाण पत्र को प्रमाणित करें । खेल में भाग लेने/मेरिट प्रमाण पत्र संस्था प्रधान द्वारा प्रमाणित योग्यता प्रमाण पत्र के आधार पर ही तैयार किये जाते हैं । अतः बाद में इन प्रमाण पत्रों में दर्शाई गई जन्मतिथि, नाम आदि में परिवर्तन किया जाना संभव नहीं होगा ।
18. विद्यालय/जिलों की टीमों के साथ आने वाले शारीरिक शिक्षक/प्रशिक्षक को निर्णायक के रूप में नियुक्त किया जाता है तो सम्बन्धित शारीरिक शिक्षक निर्णायक के रूप में कार्य करेगा । आदेशों की अवहेलना करने वाले के विरूद्व कार्यवाही की जावेगी ।
19. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक जिला स्तरीय आयुवर्ग खेल प्रतियोगिताओं के समेकित परिणाम राज्य स्तरीय प्रतियोगिता से पूर्व निम्न प्रारूप में उपनिदेशक (खेलकूद) माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर को निश्चित रूप से भिजवावें:–

क्र. सं.	खेल का नाम	प्रति. स्थल का नाम	प्रति. अवधि	प्रथम तीन स्थानों के परिणाम (विद्यालय के नाम सहित)	संभागी टीमों की संख्या	कुल खिलाड़ी संख्या	निर्णायकों की संख्या	अन्य कार्मिकों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9

गत वर्षो में यह देखने में आया है कि कतिपय जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक (मुख्यालय) द्वारा ही उक्त सूचना भेजी जाती है। अतः भविष्य में समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक (मुख्यालय) उक्त निर्धारित प्रपत्र में सूचना भिजवाना सुनिश्चित किया जावें।

20. खेलकूद प्रतियोगिता (क्रीड़ा) शुल्क वर्तमान सत्र 2019–20 से सभी विद्यालयों से निम्न दरों के अनुसार वसूला जावें :–

सामान्य वर्ग	10 रूपये प्रति छात्र–छात्रा
आरक्षित वर्ग (अनु.जाति, अनु. जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग)	05 रूपये प्रति छात्र–छात्रा

उक्त प्रतियोगिता शुल्क की कुल संगहीत राशि में से 40 प्रतिशत राशि राष्ट्रीय प्रतियोगिता हेतु अपने अपने जिलो में आरक्षित रखें। उक्त राशि निदेशालय के आदेशानुसार ही उपयोग में ली जावेगी। शेष रही 60 प्रतिशत राशि का व्यय करने के संबंध में खेलकूद नियमावली 2005 में प्रदत्त निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी ।

www.rajteachers.com

संग्रहित की गई राशि की सूचना निर्धारित प्रपत्र में सत्र में दो बार दिनांक 30–09–2019 एवं 31–03–2020 तक सभी जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक अनिवार्यतः उप निदेशक (खेलकूद एवं शारीरिक,. शिक्षा) माध्यमिक शिक्षा राज. बीकानेर को भिजवायेगें। उक्त प्रतियोगिता शुल्क की राशि राजकीय राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त गैर सरकारी/निजी एवं अनुदान प्राप्त समस्त शिक्षण संस्थाओं द्वारा माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्तर तक के समस्त विद्यालयों को भुगतान करना अनिवार्य है, चाहें विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लेता हो अथवा नहीं। प्रतियोगिता शुल्क का भुगतान नहीं करने वाले विद्यालयों पर जिला शिक्षा अधिकारी ,माध्यमिक (मुख्यालय) शिक्षा अपने स्तर पर नियमानुसार कार्यवाही करें। उपरोक्त प्रतियोगिता (क्रीडा) शुल्क की राशि का संधारण पृथक से किया जाना सुनिश्चित करें।

21. प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय द्वारा आयोजित होने वाली जिला स्तरीय उच्च प्राथमिक विद्यालयी खेलकूद छात्र–छात्रा प्रतियोगिता में यदि माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के छात्र–छात्रा खिलाड़ी भाग लेते है तो उक्त प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की संख्या के आधार पर 10 रूपये (दस रूपये) प्रति खिलाड़ी की दर से, जिसके अन्तर्गत सामान्य वर्ग एवं आरक्षित वर्ग सम्मिलित है, के आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी ,माध्यमिक (मुख्यालय) शिक्षा द्वारा अपने जिले की समस्त विद्यालयों से ली गयी प्रतियोगिता शुल्क की 60 प्रतिशत राशि में से जिला शिक्षा अधिकारी ,प्रारंभिक (मुख्यालय) को राशि जमा करवायेंगे। उक्त आदेश प्रारम्भिक शिक्षा राज., बीकानेर के पत्रांक शिविरा/प्रारं/खेकू/स्वाशि/7509/पंचाग/71 दिनांकः 27–8–01 के अनुसार इस कार्यालय के पत्रांक–: शिविरा/मा/खेलकूद–3/35101/वार्षिकपंचाग /2001–02/26 दिनांक 30–08–2001 से जारी किया जा चुका है ।

22. **जिला एवं राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों के भाग लेने/मेरिट प्रमाण पत्र प्रतियोगिता स्थल पर खिलाड़ी को अनिवार्यतः वितरित किया जावें । संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक एवं संयुक्त निदेशक,स्कूल शिक्षा इस ओर विशेष ध्यान देते हुए इसकी पालना सुनिश्चित करें ।** प्रमाण पत्र खिलाड़ी के योग्यता प्रमाण पत्र के फोटो से मिलान करने के पश्चात खिलाड़ी के प्रतिपर्ण पर हस्ताक्षर लेकर उपस्थित खिलाड़ी को ही दिया जावे । अनुपस्थित खिलाड़ी के प्रमाण पत्र को अन्य किसी को नहीं दिया जावे। प्रमाण पत्र पर क्रमांक छपवाने अनिवार्य है तथा प्रमाण पत्र का प्रतिपर्ण गत सत्रों की भॉति छपवाया जावे एवं अभिलेख में सुरक्षित रखा जावे। मेरिट प्रमाण पत्र प्रथम तीन स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को ही दिया जावे। मेरिट प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को स्मरण प्रमाण पत्र भी दिया जावे। व्यक्तिगत एंव दलीय स्पर्धा में प्रथम तीन स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को भी मेरिट प्रमाण पत्र दिया जावे । कुश्ती व जूडो में तृतीय स्थान का मेरिट प्रमाण पत्र रेपीचार्ज पद्धति के आधार पर दो खिलाड़ियों को देय होगा।

23. तैराकी, कुश्ती, जूडो, जिम्नास्टिक, लॉन टेनिस एवं तीरंदाजी 19 वर्ष एवं 17 वर्ष आयुवर्ग की राज्य स्तरीय प्रतियोगिताऍं खेलानुसार एक ही स्थान पर आयोजित होती है, जिसमें जिले के सभी आयु वर्ग के छात्र–छात्रा एक ही स्थान पर भाग लेते है । छात्रा दल के साथ महिला अधिकारी/प्रशिक्षक/शारीरिक शिक्षक/महिला प्रभारी को ही लगाया जावे। अपरिहार्य कारणों से महिला अधिकारी /प्रशिक्षक /शारीरिक शिक्षक के स्थान पर पुरूष अधिकारी/प्रशिक्षक/शारीरिक शिक्षक को लगाया जाता है तो प्रतियोगिता आयोजक द्वारा प्रतियोगिता स्थल पर पुरूष अधिकारी/प्रशिक्षक/ शारीरिक शिक्षक आदि की एवं छात्रा खिलाड़ियों के आवास की व्यवस्था अलग–अलग स्थानों पर की जावे। **यह ध्यान रखा जावें कि छात्रा टीम के साथ महिला प्रभारी अनिवार्य भेजी जावे। यह सुनिश्चित करना कि छात्राओं के साथ महिला प्रभारी भेजी गयी है या नहीं, जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक का उतरदायित्व होगा।** जिला स्तरीय प्रतियोगिता स्थलों पर निर्णायक मंडल/चयन समिति में निर्धारित संख्यानुसार ही शारीरिक शिक्षकों को लगाया जावे। इस हेतु प्रतिनियुक्ति आदेश जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) के हस्ताक्षरों द्वारा ही जारी किये जावे। कार्यालय समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक (मुख्यालय) में कार्यरत अधीनस्थ अधिकारी/उप जिला शिक्षा अधिकारी (शा.शि.) द्वारा प्रतिनियुक्ति आदेश अलग से प्रसारित नहीं किये जावे ।

www.rajteachers.com

24. S.G.F.I. (स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया) द्वारा कुश्ती, जूडो एवं कबड्डी प्रतियोगिता हेतु गत सत्र से वजन निर्धारण एवं इवेन्ट केटेगरी के नये मानदण्ड निर्धारित किये हैं, जिसकी प्रति आपको इस कार्यालय के पत्र दिनांक 03.07.18 के द्वारा भेजी जा चुकी है। अतः जिला/राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं को इसी अनुरूप सम्पन्न करावें। निर्धारित मानदण्ड परिशिष्ट 9 पर संलग्न हैं।

25. एथलेटिक्स एवं तैराकी में राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित स्पर्धा के अनुसार ही जिला/राज्य स्तर पर प्रतियोगिताओं में स्पर्धाएँ करवायें । इस हेतु निर्धारित स्पर्धा एवं इन स्पर्धाओं हेतु निर्धारित मानदण्ड परिशिष्टः– 7 से 8 पर संलग्न है ।

26. चयन समिति द्वारा पूर्व राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर हेतु जो सूची बनाई जाती है वह प्रतियोगिता स्थल पर घोषित नहीं की जावे।

27. जयपुर जिले से पूर्व की भाँति राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में छात्र खिलाड़ियों के दो दल भाग ले सकेगें। छात्रा खिलाड़ियों का एक ही दल राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेगा। छात्र–छात्रा खिलाड़ियों का जिला स्तरीय प्रतियोगिता हेतु जिला शिक्षा अधिकारी,माध्यमिक (मुख्यालय) शिक्षा नॉडल अधिकारी होगें।

28. राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं में अधिक आयु के खिलाड़ियों को खेलने से रोकने तथा निर्धारित आयु के खिलाड़ियों को खेल का पर्याप्त अवसर देने हेतु राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं के आरम्भ से एक दिन पूर्व आयोजकों द्वारा गठित अधिकृत मेडिकल बोर्ड द्वारा सभी सम्भागियों का आयु सम्बन्धी मेडिकल परीक्षण करवाया जावेगा। इस हेतु समस्त सम्भागियों को प्रतियोगिता आरम्भ से एक दिन पूर्व प्रातः 10.00 बजे तक प्रतियोगिता स्थल पर उपस्थिति देनी होगी। अन्यथा दल प्रतियोगिता से वॅचित होंगे ।

29. सभी खेलों में संबंधित खेल फेडरेशन के नवीनतम नियम मान्य होंगे परन्तु आयोजन की दृष्टि से टाई ब्रेक , समय, सैट आदि के सम्बन्ध में शिक्षा विभागीय नियम मान्य होंगे। लीग प्रणाली तथा लीग–कम–लीग अर्थात सुपर लीग प्रणाली से खेले जाने वाले सभी खेलों के मैचों में विजेता दल को 2 अंक व पराजित दल को 0 अंक एवं बराबर रहने वाले दलों को 1–1 अंक दिया जावेगा। विद्यालयी जिला/राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं में लीग, लीग–कम–लीग अर्थात सुपर लीग प्रणाली से खेले गये समस्त खेलों के मैचों में टाई पड जाने अर्थात् अंको के आधार पर खेल परिणाम बराबर रह जाये तो टाई निम्नानुसार तोड़ी जावे :–

मैच जब पहली लीग प्रणाली या लीग–कम–लीग प्रणाली पर खिलायें और दल बराबर रह जाते हैं तो प्राप्त गोल/स्कोर/सेट के औसत को आधार मान कर टाई तोड़ी जावे। गोल/स्कोर/सेट का तात्पर्य है "जिस दल के पक्ष में जितने गोल/स्कोर/सेट हुए है उनमें से उसी दल के विपक्ष में हुए गोल/स्कोर/सेट का अन्तर निकाल कर टाई तोड़ी जावे । यदि इस पद्धति से निर्णय की स्थिति न बन पाये तो जिस दल के पक्ष में अधिक संख्या में गोल/स्कोर/सेट रहे, उसे ही विजेता घोषित कर दिया जावे परन्तु यह गणना प्रत्येक स्तर के क्रम में अर्थात् लीग के लिए अलग तथा लीग–कम–लीग (सुपरलीग) के लिए अलग–अलग लागू होगी दूसरे शब्दों में पहले लीग मैचेज के रहे परिणाम लीग–कम–लीग प्रणाली (सुपरलीग) में लागू नहीं होंगे । लीग या सुपर लीग प्रणाली से खेले जाने वाले मैचों में टीमों की संख्या दो (2) ही रह जाये या दो ही हो तो नॉक आउट प्रणाली की भांति उस मैच का खेल विशेष केअनुसार परिणाम निकाल कर आगामी मैच के लिए दल का निर्धारण किया जावेगा।

30. विद्यालयी/क्षेत्रीय/जिला/राज्य स्तरीय विद्यालयी कुश्ती/जूडो में जिस केटेगरी/वजन के लिए जिस खिलाड़ी का चयन किया गया है, चयन परीक्षण भी उसी केटेगरी /वजन के खिलाड़ियों का आयोजित कर वजनवार दल गठन किया जावे एवं उसी वजन/केटेगरी में ही वह खिलाडी क्षेत्रीय/जिला/राज्य/राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेगा ।

www.rajteachers.com

31. एथलेटिक्स में प्रत्येक इवेन्ट् (दौड़ के अलावा) में खिलाड़ी को तीन–तीन अवसर दिये जावेगें।
32. एथलेटिक्स एवं तैराकी की चैम्पियनशिप हेतु रिले में प्रथम,द्वितीय व तृतीय को क्रमशः 10–6–3 अंक तथा अन्य स्पर्धाओ हेतु 5–3–1 अंक दिये जावेंगें ।
33. **17 व 19 वर्ष आयु वर्ग के छात्र–छात्रा टीम खेल व व्यक्तिगत खेलो में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता से पूर्व जिला स्तरीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किये जावें ।**
34. टीमों के अभिलेख, ध्वज आदि प्रतियोगिता स्थल पर ले जाने/जमा करवाने का उतरदायित्व संबंधित टीम/दल के दलाधिपति/दलनायक का होगा ।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक,माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान,बीकानेर

क्रमाक–:शिविरा/मा/खेलकूद–3/35101/वार्षिकपंचांग/2019–20/ दिनांक : 15/07/19

प्रतिलिपि : निम्नाकिंत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–:

1. शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
2. शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा (पंचायत राज) राजस्थान, जयपुर ।
3. शासन सचिव, खेलकूद एवं युवा कार्यक्रम विभाग , राजस्थान, जयपुर ।
4. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा , राजस्थान , बीकानेर ।
5. अध्यक्ष, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, जयपुर ।
6. निदेशक, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
7. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशालय राजस्थान, जयपुर ।
8. उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–6) विभाग, जयपुर ।
9. समस्त संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा विभाग एंव समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि इस आदेश का प्रसारण आप अपने अधीनस्थ अधिकारियों/कार्यालयों/विद्यालयों को अविलम्ब करने का श्रम करें तथा की गयी कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत करावें ।
10. सिस्टम एनालिस्ट, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
11. अनुभागधिकारी,शाला दर्पण,कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि शाला दर्पण पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।
12. प्रधानाचार्य, सादुल स्पोर्टस स्कूल, बीकानेर ।
13. प्रधानाचार्य, राजकीय शारीरिक शिक्षा, महाविद्यालय, जोधपुर ।
14. समस्त सयुंक्त संचालन सचिव एवं प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या/प्रधानाध्यापक राज्य स्तरीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिता आयोजक।
15. समस्त प्रधानाचार्य सत्र पर्यन्त प्रशिक्षण केन्द्र / विद्यालय शिक्षा विभागीय खेल छात्रावास ।
16. अनुभाग अधिकारी, शिविरा पत्रिका प्रकाशन अनुभाग,माध्यमिक शिक्षा, राज. बीकानेर को 7 प्रतियाँ प्रेषित है। कृपया खेलकूद पंचांग आगामी शिविरा पत्रिका में प्रकाशित कराने का श्रम करावें ।
17. रक्षित पत्रावली।

(प्रेमवती शर्मा)
उप निदेशक (खेलकूद)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

www.rajteachers.com

64वीं राज्य स्तरीय विद्यालयी खेलकूद (17 व 19 वर्ष छात्र–छात्रा) प्रतियोगिता वर्ष 2019–20 के आयोज्य विद्यालयों के नाम व स्थानों का विवरण

प्रथम समूह दिनांक 13.09.2019 से 18.09.2019 तक

1.	फुटबाल	17 वर्ष छात्र	रा नूतन मावि,चौगान गेट,बून्दी
2.	फुटबॉल	19 वर्ष छात्र	राउमावि,बीदासर–लक्ष्मणगढ (सीकर)
3.	जिम्नास्टिक	17,19 वर्ष छात्र–छात्रा	राबाउमावि,मटका चौक,श्रीगंगानगर
4.	हॉकी	17 वर्ष छात्र	राउमावि,रेल्वे कुआं न.3, बाड़मेर
5.	हॉकी	19 वर्ष छात्र	राउमावि,गंगापुर सिटी (स.माधोपुर)
6.	हॉकी	17 वर्ष छात्रा	राबाउमावि,गणगौरी बाजार,जयपुर
7.	हॉकी	19 वर्ष छात्रा	राउमावि,घोईन्दा (राजसमन्द)
8.	सॉफ्टबाल	17,19 वर्ष छात्रा	रा नवीन उमावि, जोधपुर
9.	सॉफ्टबाल	17,19 वर्ष छात्र	राउमावि,कोटा रोड,बांरा
10.	तैराकी	17,19 वर्ष छात्र–छात्रा	रामावि,श्रीरामनगर,कोटा
11.	कुश्ती	17,19 वर्ष छात्र	रामावि,मालियों की बगीची,चिडावा (झुझुनू)
12.	हैण्डबॉल	17,19 वर्ष छात्र	घनश्याय दास पु.इ. राउमावि,रोल (नागौर)
13.	हैण्डबॉल	17,19 वर्ष छात्रा	राबाउमावि,बैगू (चितौड़गढ)
14.	वॉलीबाल	17,19 वर्ष छात्र	राउमावि,मसूदा (अजमेर)
15.	वॉलीबाल	17,19 वर्ष छात्रा	महावीर मावि,रायपुर मारवाड (पाली)
16.	जूडो	17,19 वर्ष छात्र–छात्रा	राउमावि,हिम्मटसर –नोखा (बीकानेर)

(प्रेमवती शर्मा)
उप निदेशक (खेलकूद)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

www.rajteachers.com

परिशिष्ट–2

द्वितीय समूह दिनांक 21.09.2019 से 26.09.2019 तक

क्र.सं.	खेल का नाम	वर्ग	प्रतियोगता आयोजन स्थल
1.	तीरंदाजी	17,19 वर्ष छात्र–छात्रा	राउमावि,आबूरोड़ (सिरोही)
2.	बेडमिन्टन	17,19 वर्ष छात्र	अ.श.सा.ग.भ.गो. राउमावि,जैसलमेर
3.	बेडमिन्टन	17,19 वर्ष छात्रा	किशनलाल गर्ग राउमावि,डूंगरपुर
4.	बास्केटबाल	17,19 वर्ष छात्र	राउमावि,राजेन्द्र मार्ग,भीलवाड़ा
5.	बास्केटबाल	17,19 वर्ष छात्रा	राबाउमावि,खन्ना स्कीम न. 02, अलवर
6.	क्रिकेट	17 वर्ष छात्र	राउमावि,गांवड़ा मीना (करौली)
7.	क्रिकेट	19 वर्ष छात्र	राउमावि,झालरापाटन (झालावाड)
8.	लॉन टेनिस	17,19 वर्ष छात्र–छात्रा	विट्टी इण्टरनेशनल स्कूल, सुखेर,उदयपुर
9.	कबड्डी	17,19 वर्ष छात्र	रामावि,तासर बड़ी (सीकर)
10	कबड्डी	17,19 वर्ष छात्रा	राबाउमावि,पचंलगी,उदयपुरवाटी (झुझुनू)
11	खो–खो	17,19 वर्ष छात्र	बलराम पब्लिक उमावि,पुराना शहर गंज,धौलपुर
12	खो–खो	17,19 वर्ष छात्रा	राउमावि,गोलूवाला (हनुमानगढ)
13	टेबल टेनिस	17,19 वर्ष छात्र	राजकीय एस.बी.के. बाउमावि,भरतपुर
14	टेबल टेनिस	17,19 वर्ष छात्रा	राबाउमावि,बांदीकुई (दौसा)

तृतीय समूह दिनांक 11.10.2019 से 16.10.2019 तक

क्र.सं.	खेल का नाम	वर्ग	प्रतियोगिता आयोजन स्थल
1.	एथलेटिक्स	17,19 वर्ष छात्र	राउमावि,देवरोड,झुझुनू
2.	एथलेटिक्स	17,19 वर्ष छात्रा	राउमावि,ताउसर (नागौर)

(प्रेमवती शर्मा)
उप निदेशक (खेलकूद)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

www.rajteachers.com

परिशिष्ट–3

राज्य स्तरीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिता 2018–19 के प्रथम आठ स्थानों के परिणाम (19 वर्ष छात्र)

खेल का नाम	प्रथम	द्वितीय	तृतीय	चतुर्थ	पंचम	षष्ठम	सप्तम	अष्ठम
बास्केटबाल	जैसलमेर एकेडमी	जयपुर I	जोधपुर	सीकर	जयपुर II	भीलवाडा	अजमेर	उदयपुर
क्रिकेट	जयपुर I	अजमेर	कोटा	बीकानेर	उदयपुर	सीकर	भीलवाडा	जोधपुर
फुटबाल	अलवर	झुझुनू	बीकानेर	श्रीगंगानगर	स.प्र.केन्द्र नोहर	अजमेर	जोधपुर एकेडमी	चितौडगढ
हैण्डबाल	श्रीगंगानगर	चितौडगढ	कोटा	हनुमानगढ	जोधपुर	बून्दी	अजमेर	जयपुर I
हॉकी	जयपुर एकेडमी	अलवर	श्रीगंगानगर	जोधपुर	एस.एस.एस. बीकानेर	भीलवाडा	राजसमन्द	जयपुर II
कबड्डी	करौली एकेडमी	जयपुर I	जयपुर II	अजमेर	चूरू	श्रीगंगानगर	हनुमानगढ	बाडमेर
खो–खो	हनुमानगढ	एस.एस.एस बीकानेर	जयपुर I	श्रीगंगानगर	चूरू	सीकर	टोंक	अजमेर
सॉफ्टबाल	अजमेर	श्रीगंगानगर	भीलवाडा	बून्दी	नागौर	बाडमेर	हनुमानगढ	राजसमन्द
वॉलीबाल	सीकर	झुझुनू एकेडमी	अलवर	झुझुनू	भीलवाडा	सत्र पर्यन्त नागौर	चूरू	जयपुर I
बेडमिंटन (दलीय)	उदयपुर	जयपुर I	जोधपुर	अलवर	कोटा	श्रीगंगानगर	अजमेर	हनुमानगढ
लॉन टेनिस (दलीय)	जयपुर I	टोंक	अलवर	उदयपुर	जोधपुर	बीकानेर	कोटा	राजसमन्द
टेबल टेनिस (दलीय)	जयपुर I	अलवर	कोटा	एस.एस.एस बीकानेर	अजमेर	चूरू	डूंगरपुर	पाली

S.S.S, बीकानेर – सादुल स्पोर्टस स्कूल बीकानेर।

स०प० – सत्र पर्यन्त प्रशिक्षण केन्द्र

(प्रेमवती शर्मा)
उप निदेशक (खेलकूद)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

www.rajteachers.com

राज्य स्तरीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिता 2018–19 के प्रथम आठ स्थानों के परिणाम (17 वर्ष छात्र)

खेल का नाम	प्रथम	द्वितीय	तृतीय	चतुर्थ	पंचम	षष्ठम	सप्तम	अष्ठम
बास्केटबाल	जैसलमेर एकेडमी	सीकर	हनुमानगढ	सत्र पर्यन्त सीकर	जयपुर I	नागौर	उदयपुर	अजमेर
क्रिकेट	जयपुर I	बीकानेर	जोधपुर	पाली	श्रीगंगानगर	उदयपुर	भीलवाडा	एस.एस.एस बीकानेर
फुटबाल	हनुमानगढ	श्रीगंगानगर	जोधपुर एकेडमी	झुझुनू	अलवर	सीकर	जोधपुर	जयपुर I
हैण्डबाल	जयपुर I	एस.एस.एस बीकानेर	श्रीगंगानगर	चित्तौडगढ	सीकर	हनुमानगढ	बाडमेर	भीलवाडा
हॉकी	श्रीगंगानगर	भीलवाडा	हनुमानगढ	नागौर	बाडमेर	सीकर	जयपुर I	सत्र पर्यन्त उदयपुर
कबड्डी	जयपुर I	एस.एस.एस बीकानेर	सीकर	अलवर	जोधपुर	अजमेर	जयपुर II	श्रीगंगानगर
खो–खो	श्रीगंगानगर	हनुमानगढ	एस.एस.एस बीकानेर	जोधपुर	बाडमेर	टोंक	सीकर	बीकानेर
सॉफ्टबाल	जोधपुर	नागौर	उदयपुर	हनुमानगढ	जयपुर II	श्रीगंगानगर	अजमेर	सीकर
वॉलीबाल	झुझुनू एकेडमी	भीलवाडा	झुझुनू	अलवर	चूरू	सीकर	हनुमानगढ	श्रीगंगानगर
बेडमिंटन (दलीय)	अलवर	जयपुर I	हनुमानगढ	झुझुनू	चित्तौडगढ	कोटा	बीकानेर	उदयपुर
लॉन टेनिस (दलीय)	अजमेर	अलवर	जोधपुर	कोटा	सीकर	उदयपुर	झुझुनू	जयपुर I
टेबल टेनिस (दलीय)	उदयपुर	जयपुर I	कोटा	एस.एस.एस बीकानेर	अजमेर	पाली	जोधपुर	नागौर

एस.एस.एस. बीकानेर :– सादुल स्पोर्टस स्कूल बीकानेर।
स0प0 :– सत्र पर्यन्त प्रशिक्षण केन्द्र।

(प्रेमवती शर्मा)
उप निदेशक (खेलकूद)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

www.rajteachers.com

राज्य स्तरीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिता 2018–19 के प्रथम आठ स्थानों के परिणाम (19 वर्ष छात्रा)

खेल कानाम	प्रथम	द्वितीय	तृतीय	चतुर्थ	पंचम	षष्ठम	सप्तम	अष्ठम
बास्केटबाल	जयपुर	सीकर	श्रीगंगानगर	उदयपुर	जोधपुर	झुझुनू	टोंक	भीलवाडा
हैण्डबाल	जयपुर एकेडमी	श्रीगंगानगर	हनुमानगढ	जयपुर	भीलवाडा	सीकर	अजमेर	चूरू
हॉकी	अजमेर एकेडमी	श्रीगंगानगर	हनुमानगढ	नागौर	टोंक	चूरू	भीलवाडा	सीकर
कबड्डी	चूरू	जयपुर	बाडमेर	नागौर	हनुमानगढ	श्रीगंगानगर	अजमेर	बीकानेर
खो–खो	हनुमानगढ	सीकर	श्रीगंगानगर	बाडमेर	नागौर	जयपुर	बीकानेर	भीलवाडा
सॉफ्टबाल	अजमेर	हनुमानगढ	बाडमेर	सीकर	पाली	भीलवाडा	झुझुनू	जोधपुर
वॉलीबाल	श्रीगगांगनर	सीकर	चूरू	भीलवाडा	हनुमानगढ	अजमेर	झुझुनू	जोधपुर
बेडमिंटन (दलीय)	उदयपुर	जयपुर	अजमेर	अलवर	बीकानेर	जोधपुर	भीलवाडा	सिरोही
लॉन टेनिस (दलीय)	जयपुर I	अजमेर	जोधपुर	सीकर	पाली	कोटा	बीकानेर	श्रीगंगागनर
टेबल टेनिस (दलीय)	जोधपुर	कोटा	भीलवाडा	नागौर	बाडमेर	राजसमन्द	हनुमानगढ	झुझुनू

स0प0– सत्र पर्यन्त प्रशिक्षण केन्द्र

(प्रेमवती शर्मा)
उप निदेशक (खेलकूद)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

www.rajteachers.com

राज्य स्तरीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिता 2018–2019 के प्रथम आठ स्थानों के परिणाम (17 वर्ष छात्रा)

खेल का नाम	प्रथम	द्वितीय	तृतीय	चतुर्थ	पंचम	षष्ठम	सप्तम	अष्ठम
बास्केटबाल	जयपुर	जयपुर एकेडमी	अजमेर	जोधपुर	भीलवाडा	राजसमन्द	हनुमानगढ	कोटा
हैण्डबाल	श्रीगंगानगर	बाडमेर	हनुमानगढ	जयपुर	भीलवाडा	पाली	टोंक	राजसमन्द
हॉकी	श्रीगंगानगर	चूरू	सीकर साई	अलवर	भीलवाडा	नागौर	सीकर	हनुमानगढ
कबड्डी	नागौर	जयपुर	हनुमानगढ	अलवर	झुझुनू	बाडमेर	अजमेर	जोधपुर
खो–खो	हनुमानगढ	सीकर	नागौर	श्रीगंगानगर	बाडमेर	अजमेर	बीकानेर	चूरू
सॉफ्टबाल	सीकर	श्रीगंगानगर	अजमेर	बाडमेर	हनुमानगढ	जयपुर	जोधपुर	बीकानेर
वॉलीबाल	हनुमानगढ	सीकर	श्रीगंगानगर	जयपुर	झुझुनू	भीलवाडा	चूरू	राजसमन्द
बेडमिंटन (दलीय)	अलवर	उदयपुर	जोधपुर	अजमेर	बीकानेर	जयपुर	चितौडगढ	भीलवाडा
लॉन टेनिस (दलीय)	जयपुर I	अलवर	जोधपुर	अजमेर	राजसमन्द	चूरू	उदयपुर	हनुमानगढ
टेबल टेनिस (दलीय)	अजमेर	जोधपुर	जयपुर	सीकर	नागौर	भीलवाडा	उदयपुर	कोटा

(प्रेमवती शर्मा)
उप निदेशक (खेलकूद)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

www.rajteachers.com

सत्र 2019–2020 के लिए राज्य स्तरीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिता के लिए (आयुवर्गानुसार) एथलेटिक्स हेतु निर्धारित इवेन्ट्स एवं मानदण्ड

नाम इवेन्ट्स	19 वर्ष आयुवर्ग		17 वर्ष आयुवर्ग	
	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा
100 मीटर दौड	12.5 Second	14 Second	13 Second	14.5 Second
200 मीटर दौड	26.0 Second	30.5 Second	27.0 Second	32.5 Second
400 मीटर दौड	55.0 Second	1 Min. 10 Sec.	57.0 Second	1 Min. 15 Sec.
800 मीटर दौड	2 Min. 12 Sec	2 Min. 32 Sec.	2 Min. 17 Sec.	2 Min. 37 Sec.
1500 मीटर दौड	4 Min. 30 Sec.	5 Min.	4 Min. 40 Sec.	5 Min. 15 Sec.
3000 मीटर दौड	12 Min. 30 Sec.	14 Min. 30 Sec.	13 Min.10 Sec.	15 Min. 20 Sec
100 मीटर बाधा दौड	----------	20 Sec. (76.2cm. height)	----------	21 Sec. (76.2cm. height)
110 मीटर बाधा दौड	19 Sec.(91.04cm)	----------	20 Sec.(91.04cm)	----------
400 मीटर बाधा दौड	1 Min.10 Sec. (84cm.)	1 Min. 22 Sec. (76.02cm.)	1 Min.15 Sec. (84cm.)	1 Min. 27 Sec. (76.02cm.)
उंची कूद	1.50 Meter	1.25 Meter	1.45 Meter	1.20 Meter
लम्बी कूद	5.30 Meter	4.25 Meter	5.25 Meter	4.15 Meter
त्रिकूद	11.00 Meter	8.50 Meter	10.50 Meter	7.50 Meter
बांस कूद	2.50 Meter	1.80 Meter	2.35 Meter	1.75 Meter
गोला फेंक	11 Meter (5 Kg)	8 Meter (3 Kg)	10 Meter (5 Kg)	7 Meter (3 Kg)
तश्तरी फेंक	31 Meter (1.5 Kg)	16 Meter (1Kg)	30 Meter (1.5 Kg)	15 Meter (1 Kg)
भाला फेंक	33.50 Meter (700 gm)	21 Meter (500gm)	31 Meter (700 gm)	19 Meter (500 gm)
हैमर थ्रो	30 Meter (5 Kg)	16 Meter (3 Kg)	28 Meter (5 Kg)	14 Meter (3 Kg)
3 कि.मी. वाक	----------	19 Min.	----------	20 Min.
5 कि.मि. वाक	29 Min.	----------	31 Min.	----------
4 X 100 मीटर रिले	52 Sec.	1 Min. 5 Sec.	53 Sec.	1 Min. 8 Sec.
4 X 400 मीटर रिले	4 Min.	4 Min. 50 Sec.	----------	----------

(प्रेमवती शर्मा)
उप निदेशक (खेलकूद)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

www.rajteachers.com

सत्र 2019–2020 के लिए राज्य स्तरीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिता के लिए (आयुवर्गानुसार) तैराकी हेतु निर्धारित इवेन्ट्स एवं मानदण्ड

नाम इवेन्ट्स	छात्र		छात्रा	
	19 वर्ष	17 वर्ष	19 वर्ष	17 वर्ष
1. फ्री–स्टाइल				
50 मीटर	0:35:00	0:40:00	0:40:00	0:45:00
100 मीटर	1:30:00	1:35:00	2:15:00	2:25:00
200 मीटर	3:10:00	3:20:00	5:10:00	5:20:00
400 मीटर	6:55:00	7:00:00	10:30:00	10:40:00
800 मीटर	----	15:00:00	20:30:00	----
1500 मीटर	28:30:00	----	----	----
4 x 100 मीटर रिले	6:15:00	6:30:00	7:00:00	7:00:00
2. मेडले रिले 4 x 100 मीटर रिले	6:30:00	6:30:00	7:30:00	7:30:00
3. इण्डविजवल मेडले				
200 मीटर	3:30:00	3:40:00	6:15:00	6:30:00
400 मीटर	7:20:00	7:30:00	13:00:00	13:30:00
4. बैक स्ट्रॉक				
50 मीटर	0:41:00	0:43:00	0:49:00	0:51:00
100 मीटर	1:40:00	1:50:00	2: :00:00	2:20:00
200 मीटर	4:10:00	4:30:00	6:00:00	6:20:00
5. ब्रेस्ट स्ट्रोक				
50 मीटर	0:43:00	0:45:00	0:51:00	0:53:00
100 मीटर	1:30:00	1:40:00	1:55:00	2: :00:00
200 मीटर	3:40:00	3:50:00	5:30:00	6:00:00
6. बटर फ्लाई				
50 मीटर	0:38:00	0:40:00	0:46:00	0:48:00
100 मीटर	1:30:00	1:40:00	2:45:00	3:00:00
200 मीटर	3:45:00	3:55:00	6:00:00	6:15:00

नोटः–एक तैराक तीन इवेन्ट्स तथा एक रिले में भाग ले सकता है ।

(प्रेमवती शर्मा)
उप निदेशक (खेलकूद)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

www.rajteachers.com

सत्र 2019–2020 के लिए जिला एवं राज्य स्तरीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिता हेतु कुश्ती,जूडो एवं कबड्डी के आयुवर्गानुसार नवीन वजन कैटगरी

कुश्ती के आयुवर्गानुसार नवीन वजन कैटगरी

कुश्ती 19 वर्ष छात्र	कुश्ती 17 वर्ष छात्र
57 किग्रा तक	41–45 किग्रा तक
61 किग्रा तक	48 किग्रा तक
65 किग्रा तक	51 किग्रा तक
70 किग्रा तक	55 किग्रा तक
74 किग्रा तक	60 किग्रा तक
79 किग्रा तक	65 किग्रा तक
86 किग्रा तक	71 किग्रा तक
92 किग्रा तक	80 किग्रा तक
97 किग्रा तक	92 किग्रा तक
125 किग्रा तक	110 किग्रा तक

जूडो के आयुवर्गानुसार नवीन वजन कैटगरी

जूडो (छात्र)		जूडो (छात्रा)	
19 वर्ष	17 वर्ष	19 वर्ष	17 वर्ष
–40 किलोग्राम	–40 किलोग्राम	–36 किलोग्राम	–36 किलोग्राम
–45 किलोग्राम	–45 किलोग्राम	–40 किलोग्राम	–40 किलोग्राम
–50 किलोग्राम	–50 किलोग्राम	–44 किलोग्राम	–44 किलोग्राम
–55 किलोग्राम	–55 किलोग्राम	–48 किलोग्राम	–48 किलोग्राम
–60 किलोग्राम	–60 किलोग्राम	–52 किलोग्राम	–52 किलोग्राम
–66 किलोग्राम	–66 किलोग्राम	–57 किलोग्राम	–57 किलोग्राम
–73 किलोग्राम	–73 किलोग्राम	–63 किलोग्राम	–63 किलोग्राम
–81 किलोग्राम	–81 किलोग्राम	–70 किलोग्राम	–70 किलोग्राम
–90 किलोग्राम	–90 किलोग्राम	+70 किलोग्राम	+70 किलोग्राम
+90 किलोग्राम	+90 किलोग्राम	—	—

कबड्डी के आयुवर्गानुसार नवीन वजन कैटगरी

आयुवर्ग/वजन	कबड्डी (छात्र)		कबड्डी (छात्रा)	
आयुवर्ग	19 वर्ष छात्र	17 वर्ष छात्र	19 वर्ष छात्रा	17 वर्ष छात्रा
पुराना वजन	65 कि.ग्रा.से कम	57 कि.ग्रा.से कम	59 कि.ग्रा.से कम	53 कि.ग्रा.से कम
नया वजन	70 कि.ग्रा.से कम	55 कि.ग्रा.से कम	65 कि.ग्रा.से कम	55 कि.ग्रा.से कम

(प्रेमवती शर्मा)
उप निदेशक (खेलकूद)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

www.rajteachers.com